

दि. 21/12/21  
पत्र प्रमाणिका

सही हुम्न

हुम्न या कार्यवाही सम्बन्धित जग


गुम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस हुम्न  
की तारीख में जारी हुए

21/12/21

प्रशासन गांवी के रंग अधिगान के अन्तर्गत कॅम्प ग्राम पंचायत 2011/205  
ने तहसीलदार मण्डावर/वैजूपाडा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू  
राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं राजस्थान भू राजस्व (भू.अ.वि.)  
नियम 1957 के नियम 58, 59 व 60 एवं 66, 66 के अन्तर्गत, इस आशय का  
प्रस्तुत किया है कि आराजी खसरा नंबर 513

स्थित  
ग्राम 211/1 मटवार मण्डल 2011/205 तहसील-वैजूपाडा/मण्डावर  
जिला दौसा जिस पर मौके पर सार्वजनिक सारता बना हुआ है एवं सारते के  
उपयोग में आ रहा है। किन्तु राजस्व अभिलेख में सारता अभिलिखित नहीं है।  
उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है। तहसीलदार  
मण्डावर/वैजूपाडा द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ सार्वजनिक सारता के रूप में  
उपयोग में आ रही भूमि को नक्शा ट्रेस में लाल रयाही से दर्शाया गया है।  
प्रस्तावित सारता का अंकन राजस्व अभिलेख में करने हेतु निवेदन किया है।  
उक्त प्रा.पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यायालय द्वारा उक्त प्रस्तावित भूमि  
के निजी खातेदारान को अपना पक्ष दिनांक 15/12/21 को प्रस्तुत करने  
हेतु नोटिस जारी किये गये। परन्तु उक्त तिथि को किसी भी निजी खातेदारान  
द्वारा अपना कोई पक्ष/जवाब/सहमति इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की  
गई।

पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि उक्त सारते के लिए प्रस्तावित  
भूमि निजी खातेदारान की है एव पक्षकारान/ निजी खातेदारान द्वारा प्रस्तावित  
सारता का अंकन राजस्व अभिलेख में करने हेतु अपना कोई पक्ष इस न्यायालय  
में प्रस्तुत नहीं किया है। बिना निजी खातेदार की सहमति के उसकी खातेदारी  
भूमि से सारता दिया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः तहसीलदार 21/12/21  
द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की  
धारा 131 को खातेदारान के द्वारा प्रस्तावित सारता का अंकन राजस्व अभिलेख  
में करने हेतु सहमति नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारीज  
किया जाता है। पत्रावली फैंसल शुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर  
हो।

  
(अमित कुमार वर्मा)  
उपखण्ड अधिकारी  
मण्डावर(दौसा)